भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 205

02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नर्सिंग कॉलेज

205. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय देश में सरकारी/निजी नर्सिंग कॉलेजों की महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में स्थापित किए गए सरकारी/निजी नर्सिंग कॉलेजों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आवश्यक मूलभूत सुविधाओं/अवसंरचना सहित उक्त महाविद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) देश में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं/अवसंरचना से युक्त नए नसिंग कॉलेजों की स्थापना करने के मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ड) क्या सरकार का विचार रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिले और उस्मानाबाद के आकांक्षी जिले सहित महाराष्ट्र के सभी जिलों में सरकारी/निजी नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): महाराष्ट्र सहित देश में सरकारी/निजी नर्सिंग कॉलेजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-I पर है।**

(ख): पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में स्थापित सरकारी/निजी नर्सिंग कॉलेजों का महाराष्ट्र सहित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक- II** में है ।

(ग) और (घ): सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) बजट भाषण 2023-24 में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की गई है।

(ii) नर्सिंग शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए छात्र व रोगी के अनुपात को 1:5 से घटाकर 1:3 कर दिया गया है।

(iii) नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों के लिए छात्रावास सहित स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए 54,000 वर्ग फुट तक भवन निर्माण के लिए भूमि की अनिवार्यता में छूट प्रदान की गई है।

(iv) 2013-2014 से जीएनएम और बी.एससी.(नर्सिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 100 बिस्तरों वाला मूल अस्पताल आवश्यक है। हालाँकि, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए इसमें छूट दी गई है।

(v) बी.एससी. (एन) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शिक्षण संकाय हेतु मानदंडों में ढील दी गई।

(vi) सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्नातक कार्यक्रम के बिना एम.एससी. (एन) शुरू कर सकता है।

(vii) बी.एससी. (एन)/जीएनएम कार्यक्रमों के लिए उन संस्थानों को अधिकतम 100 सीटें दी जाएंगी जिनके पास मेडिकल कॉलेज पर बिना आग्रह के 300 बिस्तरों वाला मूल अस्पताल मौजूद है।

(viii) स्कूल से अस्पताल की दूरी में छूट दी गई है।

(ix) नर्सिंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी गई है।

(ङ) केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) "नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा - मेडिकल कॉलेज के साथ सह-स्थान पर नए कॉलेज ऑफ नर्सिंग (सीओएन) की स्थापना" के तहत 157 नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से दो महाराष्ट्र के गोंदिया और नंदुरबार जिले में हैं।

अनुलग्नक-I

31 अक्टूबर, 2023 तक देश में सरकारी/निजी नर्सिंग कॉलेजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल नर्सिंग संस्थान	
		सरकारी	निजी
1	आंध्र प्रदेश	11	127
2	अरुणाचल प्रदेश	2	3
3	असम	4	17
4	बिहार	5	10
5	चंडीगढ़	2	0
6	छत्तीसगढ़	9	105
7	दादरा एवं नगर हवेली	1	0
8	दमन और दीव	1	0
9	दिल्ली	11	4
10	गोवा	1	5
11	गुजरात	9	89
12	हरियाणा	4	35
13	हिमाचल प्रदेश	2	32
14	जम्मू एवं कश्मीर	5	13
15	झारखंड	2	26
16	कर्नाटक	15	352
17	केरल	15	130
18	लक्षद्वीप	1	0
19	मध्य प्रदेश	12	144
20	महाराष्ट्र	6	95
21	मणिपुर	2	10
22	मेघालय	1	3
23	मिजोरम	2	2
24	नगालैंड	0	1
25	ओडिशा	11	37
26	पांडिचेरी/पुडुचेरी	2	10
27	पंजाब	7	113
28	राजस्थान	29	137
29	सिक्किम	1	3
30	तमिलनाडु	5	191
31	तेलंगाना	9	79
32	त्रिपुरा	1	4
33	उत्तर प्रदेश	11	159
34	उत्तराखंड	8	23
35	पश्चिम बंगाल	27	75

अनुलग्नक-II

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में स्थापित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार सरकारी/निजी नर्सिंग कॉलेज

क्र.सं.	राज्य का नाम	31/3/2018	31/3/2019	31/3/2020	31/3/2021	31/3/2022	31/10/2023 तक
1	आंध्र प्रदेश	14	0	0	5	2	0
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	1	1	2
3	असम	1	2	3	1	0	3
4	बिहार	4	1	0	0	2	3
5	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	17	1	3	3	0	14
7	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
8	दमन और दीव	1	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	1	1	2	0	0	1
10	गोवा	0	0	0	0	0	3
11	गुजरात	40	5	9	5	0	0
12	हरियाणा	11	0	1	2	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	14	1	4	4	0	0
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	2	0	2	0	0
15	झारखंड	2	0	0	4	5	9
16	कर्नाटक	5	1	0	24	24	5
17	केरल	7	1	0	0	1	12
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	1
19	मध्य प्रदेश	64	0	2	10	21	0
20	महाराष्ट्र	14	0	0	1	0	0
21	मणिपुर	1	0	1	0	2	2
22	मेघालय	0	0	0	0	0	2
23	मिजोरम	0	1	0	0	0	1
24	नगालैंड	0	0	0	0	0	0
25	ओडिशा	1	10	5	4	1	7
26	पांडिचेरी/पुडुचेरी	3	0	0	0	0	0
27	पंजाब	8	0	0	3	4	5
28	राजस्थान	3	4	0	22	1	0
29	सिक्किम	0	1	0	0	0	1
30	तमिलनाडु	14	2	6	4	4	0
31	तेलंगाना	2	0	2	1	0	1
32	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	2
33	उत्तर प्रदेश	34	2	15	21	14	24
34	उत्तराखंड	7	2	1	3	2	3
35	पश्चिम बंगाल	2	1	6	11	36	25

******